न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/ 2023
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2023/43

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्री हीरा पिता देवा रेबारी निवासी खेडा घाणी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा
2. श्री पूंजा पिता देवा रेबारी निवासी खेडा घाणी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री डूंगर पिता नाथा रेबारी निवासी खेडा घाणी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा
2. श्री श्री धनजी पिता पिता नाथा रेबारी निवासी खेडा घाणी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा
3. तहसीलदार तहसील गढी

उपस्थित

श्री मुकेश द्विवेदी, अधिवक्ता अपीलांट

श्री अमजद खान पठान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1,2

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 23–02–2024

अपीलांट श्री हीरा, पूंजा पिता देवा रेबारी निवासी खेडा की धाणी तहसील गढी व जिला बांसवाडा ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स के पिता देवा पिता संग्राम के आधिपत्य व स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 171 के खसरा नंबर 381 रकबा 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 5306/382 रकबा 0.04 बिस्वा कुल खेत 2 कुल रकबा 0.12 बिस्वा ग्राम खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त सर्वे नंबर की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स व उनके [illegible] पिता संग्राम रेबारी को बिना सुने नामान्तरकरण संख्या 1118 दिनांक 27.09.2018 [illegible] अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 04.07.
2023 को रेस्पोडेंट्स के नोटिस बाद तामील पेश हुए तथा रेस्पोडेंट्स की ओर से श्री अमजद खान
पठान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 12.10.2023 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब मय बहस लिखित प्रस्तुत
की जिसमें मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि अपीलार्थी सम्पूर्ण भूमि पर कभी भी काबिज नही रहा
है। न्यायालय तहसीलदार तहसील गढी का आदेश दिनांक 27.03.2018 सही है। अधिनस्थ न्यायालय
गढी द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजो के आधार पर उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया है। अपीलांट के
पिता द्वारा मात्र 45 गुणा 52 वर्गफिट भूमि का आदेश राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किया गया
जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया है। दिनांक 02.08.2000
राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय अनुसार ही रेस्पोडेंट्स भूमि पर काबिज है। अपील
अपीलांट खारिज की जावे।

दिनांक 15.02.2024 को अपीलांट के अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 1, 2 के अधिवक्ता एवं राजकीय
अधिवक्ता की ओर से मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी
गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट के पिता देवा पिता संग्राम के आधिपत्य
स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 171 के खसरा नंबर 381 रकबा 0.08 बिस्वा, खसरा
नंबर 5306/382 रकबा 0.04 बिस्वा कुल खेत 2 कुल रकबा 0.12 बिस्वा ग्राम खेडा तहसील गढी,
जिला बांसवाडा में स्थित है। वाद ग्रस्त कृषि भूमि में काबिज होकर काश्त करते है साथ में
अपीलांट्स भी काश्त करते चले आ रहे है एवं मौके पर अपीलांट्स का कब्जा, आधिपत्य विद्यमान है
तथा वादग्रस्त सर्वे नंबर की भूमि पर अपीलांट्स का मकान भी मौजुद है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा
रेस्पोडेंट के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 1118 दिनांक 27.01.2018 खोल दिया है। जिसकी जानकारी
नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार कर अपील की सुनवाई की जावे।

रेस्पोडेंट सं.1, 2 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट्स को प्रकरण में
नामान्तरकरण की पुरी जानकारी थी बावजुद जानबुझकर उनके द्वारा नियत अवधि में कार्यवाही नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:54 IST
Reason: SelfAttested

कर झुठे आधारो पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर विलम्ब क्षम्य नही किया जा सकता। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. सार हिन होने प्रश्नगत नामान्तरकरण को स्थगन के सम्बन्ध में काई ठोस कारण स्पष्ट नही होने के कारण स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये गयें।

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने मूल अपील पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट श्री हीरा, पूंजा पिता देवा रेबारी निवासी खेडा की धाणी तहसील गढी व जिला बांसवाडा ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स के पिता देवा पिता संग्राम के आधिपत्य व स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 171 के खसरा नंबर 381 रकबा 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 5306/382 रकबा 0.04 बिस्वा कुल खेत 2 कुल रकबा 0.12 बिस्वा ग्राम खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त सर्वे नंबर की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधिनरथ न्यायालय ने अपीलांट्स व उनके पिता देवा पिता संग्राम रेबारी को बिना सुने नामान्तरकरण संख्या 1118 दिनांक 27.03.2018 पारित किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 1118 दिनांक 27.01.2018 के आदेश पत्रावली के आई साक्ष्य व तथ्यो के विपरित होने से काबिल निरस्ती है।

अपीलांट्स के पिता देवा पिता संग्राम जी रेबारी एवं अपीलांट्स वादग्रस्त कृषि भूमि काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं मौके पर अपीलांट्स का वास्तविक कब्जा, आधिपत्य विद्यमान है तथा वादग्रस्त सर्वे नंबर की भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा भी मौजूद है। लेकिन अधिनरथ न्यायालय ने मौके की जानकारी लिये बिना रेस्पोडेंट [illegible] नामान्तरकरण आदेश करने की कानूनी भूल की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट्स के पास उक्त कब्जेशुदा आराजीयात के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है रेस्पोडेंट्स के पास अन्य काश्त की भूमि है व रेस्पोडेंट्स का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कब्जा

नही है तथा कानूनी प्रावधानो का अवलोकन किये बिना राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2000 प्रस्तुत कर लगभग 18 वर्ष के पश्चात् अपने प्रभाव का उपयोग कर नामान्तरकरण खुलवा दिया है उक्त निर्णय की इजराय नही की गई है ना ही रेस्पोडेंट को सुना गया है। निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर अवधि बाधित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण विधि राय के बिना आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलांट की कृषि भूमि मूल सर्वे नंबर 381 रकबा 0.02 बिस्वा शेष बदस्तुर माना है ना ही मौके का नक्शा बनाया गया तथा मूल सर्वे नंबर अपीलांट के पिता के नाम से दर्ज है। जो स्वतः शेष भूमि रेस्पोडेंट के नाम विधितः राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही की जा सकती। जिसके लिये अपीलांट्स को सुना जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत इजराय की पालना किये बिना नामान्तरकरण आदेश जारी किया गया है जो विधि द्वारा वर्जित होने एवं कालबाधित होने से काबिल निरस्त है।

रेस्पोडेंट सं.1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कभी भी काबिज नही रहा है। तहसीलदार गढी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण अपील/डिक्री 220/95 में निर्णय दिनांक 02.08.2000 की पालना में नामान्तरकरण सं. 1118 दिनांक 27.01.2018 दर्ज किया है। जो विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार गढी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं 1118 दिनांक 27.01.2018 विधि सम्मत एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के प्रकरण अपील/डिक्री/220/95/बांसवाडा दिनांक 02.08.2000 में पारित निर्णय की पालना किया गया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता के इस कथन पर कि "प्रश्नगत नामान्तरकरण कालबाधित होने से काबिल निरस्त है।" के सन्दर्भ में नामान्तकरण दर्ज करने की कोई समय सीमा तय नही है। यद्यपि यह नामान्तरकरण अवधि [illegible] लगभग 5 वर्षो के पश्चात् पेश हुइ है जो अवधि बाधित है। [illegible] दिनांक 27.01.2018 विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एव अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:54 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण सं. 220/95 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बांसवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.09.95 को अपास्त कर विवादग्रस्त भूमि मे से 45X52 फूट पर जो रिहायशी मकान अपीलांट के पिता देवा निवास कर रहे थे उसके अलावा शेष रकबा बाबत् जो नामान्तरकरण सं. 78/80 किया वह अपास्त किया गया और शेष नामान्तरकरण रेस्पोडेंट्स के पिता नाथा के नाम करने निर्णय पारित किया गया है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण सं. 220/95 के निर्णय दिनांक 02--08--2000 की पालना एवं उसके प्रकाश में तहसीलदार गढी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण 1118 दिनांक 27--03--2018 पारित कर खसरा नंबर 381 रकबा 0.08 बिस्वा, खसरा नंबर 5306/382 रकबा 0.04 बिस्वा कुल 0.12 बिस्वा ग्राम खेडा तहसील गढी, जिला बांसवाडा जो अपीलांट के पिता देवा पिता संग्राम सिंह के नाम दर्ज था जिसे रेस्पोडेंट डूंगर, धनजी पिता नाथा रेबारी के नाम खसरा नं. 381 रकबा 0.06 बिस्वा, खसरा नंबर 5306 रकबा 0.04 बिस्वा कुल रकबा 0.10 बिस्वा दर्ज किया है। खसरा नं 381 रकबा 0.02 बिस्वा अपीलांट के पिता के नाम शेष बदस्तुर रखा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन तहसीलदार गढी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1118 दिनांक 27.03.2018 ग्राम खेडा प.मं. खेडा तहसील गढी यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23--02--2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:54 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)